(306)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प.6(18)नविवि / 03 / 07 जयपुर, दिनांक 02.08.2010

परिपत्र

विषय :– अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे स्वरूप आवंटित की जानी वाली भूमि के संबंध मे जारी किये आरक्षण पत्रों में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज व रिंग रोड़ योजना हेतु अवाप्त की गयी भूमि के एवज में मुआवजे स्वरूप प्रदान की गयी 2.5 प्रति विकसित भूमि के संबधं में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विकसित भूमि के आवंटन संबंधित आरक्षण पत्र के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण करने के संबधं में 25/– रूपये प्रति वर्गमीटर का शुल्क अलग से लिया जाकर नियमानुसार नाम हस्तांतरण की स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(18) नविवि/03/07 दिनांक 30.05.2007 व 30.03.2009 द्वारा प्रदान की गयी थी।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने सैन्ट्रल स्पाईन योजना, जगतपुरा में जारी किये गये आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने तथा अन्य योजनाओं में भी इसी तरह निर्धारित शुल्क लेकर नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की मांग काश्तकारों द्वारा किया जाना बताया है।

काश्तकारों के व्यापक हित व योजनाओं के बिना किसी अवरोध के क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं हेतु अवाप्तशुदा भूमि के एवज में प्रदान की जाने वाली विकसित भूमि के आवंटन के संबधं में जारी आरक्षण पत्र/ आवंटन पत्रों के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण रूपये 25/– प्रति वर्गमीटर का शुल्क वसूल किया जाकर नाम हस्तांतरण करने के संबध में राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रमुख शासन सचिव